


5-12-19

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अभिभाषक अनुपस्थित।
राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपीलार्थी अभिभाषक को
आवाज दिलाई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए।
न्यायालय समय समाप्ति तक अपीलार्थी अभिभाषक व
अपीलार्थी को बार-बार आवाज दिलाई किन्तु दोनों में से
कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपील अपीलार्थी
अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है।
पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद
तकमिल दाखिल दफ़्तर हो।


संभागीय आयुक्त
अजमेर

